

आदेश

कार्मिक विभाग के परिपत्र प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2018 द्वारा वर्ष 2018 (1 जनवरी 2019 की स्थिति में) समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉगइन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR Module द्वारा ऑनलाईन स्वयं के द्वारा अंतिम तिथि 31.01.2019 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक 03 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा भरे जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त परिपत्र की पालना में आज दिनांक तक 4562 अधिकारियों के ही अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किये गये हैं जो कि संवेदनशील राज्य कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः विभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2019 तक आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरें अन्यथा ऑनलाईन नहीं किये जाने की स्थिति में जो अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें प्रशासनिक विभाग द्वारा विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

साथ ही समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारियों व आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु अधिकारियों से आवश्यक रूप से 31 जनवरी 2019 तक व्यक्तिरूप से ध्यान में लेकर उक्त निर्देशों की पालना करवायें।

संलग्न :- कार्मिक विभाग का परिपत्र 31.12.2018 की प्रति।

22.1.19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजप/डीपीसी/अचल.सं.वि/2019/ 44

दिनांक : 22.1.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग राजस्थान जयपुरं
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, आरसीएच/एड्स/ईएसआई/भ्रमणशील चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
9. उप महानिरीक्षक, आर.ए.सी., राजस्थान।
10. समस्त अधीक्षक संलग्न, चिकित्सालय संघ राजस्थान।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें-जोन।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
16. समस्त राजपत्रित अधिकारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2019 तक आवश्यक रूप से स्वयं के द्वारा ऑनलाईन शीघ्र भरें, समय सीमा में अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन नहीं करने हेतु समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
17. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ई-मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

22.1.19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गोDप्रD) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 31 DEC 2018

-:परिपत्र:-

विषय:-समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार ब्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आपके विभाग में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को इन बिन्दुओं की पालना करने हेतु सुनिश्चित करावे:-

1. राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारी द्वारा पूर्ति कराई जाती है।
2. प्रशासनिक विभागों द्वारा यह निर्देशित किया जावे कि उनके अधीन समस्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर पूर्ति करने का निर्देश प्रदान करें। वर्ष 2018 से टंकित/हस्तलिखित अचल सम्पत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।
3. जो अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।
4. सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 (01 जनवरी-2019 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
5. अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE में भरने की समय सीमा 31 जनवरी है, 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगे।




↓

6. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।


समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारियों द्वारा समय सीमा में पूर्ति कराये जाने हेतु निर्देशित करें।

उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण उपर्युक्त समय सीमा में नहीं भरेगें तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जावेगी।


(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कार्पियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

प्रक्रिया

किसी भी अधिकारी को राजकाज के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य (Mandatory) है:-

प्रक्रिया	समाधान
अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर होना चाहिये।	यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर नहीं है तो पहले वह SSO Portal पर रजिस्टर करें। यदि अधिकारी SSO Portal पर रजिस्टर हैं लेकिन उनकी आवश्यक सूचना जैसे कि Employee ID (eg. RJJP20101119001235), Aadhaar No, Mobile No., Email ID ठीक नहीं है तो वह स्वयं SSO Portal पर Login करके अपनी सूचना को Update करें।
RAJ-KAJ Application में अधिकारी की Employee Profile created होनी चाहिए।	यदि अधिकारी की Raj-Kaj में Employee profile created नहीं है तो वह RAJ-KAJ Application में Employee Self User Creation के माध्यम से आवश्यक सूचना जैसे- Employee Name, Father's Name (English & Hindi), Appointing Department, Service Type, Cadre, Designation, Posted Department etc उपलब्ध कर अपनी Profile Create कर सकते हैं।
RAJ-KAJ Application के माध्यम से Immovable Property Return (IPR) भरना।	RAJ-KAJ Portal पर Applications icon क्लिक करने के पश्चात् left menu में Employee Functions → Immoveable Property Return सलेक्ट करें। इसके पश्चात् अधिकारी Property की Details भरकर Save कर सकते है। अधिकारी Add बटन के द्वारा अपनी शेष Property की Details भर सकते हैं। View IPR बटन को click कर अधिकारी अपने द्वारा भरी गई समस्त सम्पत्ति का विवरण देख सकते हैं। यदि किसी सम्पत्ति के विवरण में कुछ परिवर्तन करना है तो उस सम्पत्ति को Select कर Update बटन के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं।

Handwritten Signature

	समस्त सम्पत्ति का विवरण सही रूप से भरने के पश्चात् Submit IPR बटन पर क्लिक करें। अधिकारी के Aadhaar No. से linked Mobile No. पर प्राप्त One Time Password (OTP) के माध्यम से IPR को E-Sign से हस्ताक्षरित कर Submit करें।
--	---

किसी भी तकनीकी सहायता हेतु कृपया संपर्क करें:-

SSO सम्बंधी सहायता हेतु	Raj-Kaj सम्बंधी सहायता हेतु
Email: helpdesk.sso@rajasthan.gov.in Ph: 0141-5153222 (Ext 25555) IP: 25555	Email: support.eoffice@rajasthan.gov.in Ph: 0141-5153222 (Ext 21304, 22281, 21348) IP: 21304, 22281, 21348, 21149, 23334, 23333 Officer Name and Contact detail : 0141-2820457 (Ext. 21149, 23334, 23333, 21304, 22281, 21348) Vineet Tulsyan :- 7621846038 Sharaddha Adhikari :- 7073334725, sharaddha.adhikari@gmail.com Manoj Sharma :- 9828226768, manojsharma@rajasthan.gov.in

(Signature)